न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 92/2016 निर्णय दिनांक :– 10.7.19

उनवान

1. बिरदा पुत्र भुवाना
2. भूरी देवी पत्नि पांचूराम
3. मनफूली देवी पत्नि रामचंद्र
4. छोटी देवी पत्नि नारायण समस्त जाति गुर्जर निवासी गोगियावास तहसील चाकसू।

वादी

बनाम

1. किशन लाल पुत्र मेवा
2. हनुमान पुत्र मेवा
3. श्रवण पुत्र मेवा समस्त जाति गुर्जर निवासी गोगिवास तहसील चाकसू।

प्रतिवादीगण

प्रार्थन पत्र धारा 251 ए आरटीएक्ट

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए का पेश किया जाकर बताया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 314, 320, 322 किता 3 रकबा 1.07 है0 व खसरा नम्बर 319, 392, 392/7 किता 3 रकबा है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\BIRDA VS KISHANLAL.docx

का खातेदार काश्तकार है तथा बाहेसियत खातेदार उक्त भूमि के प्रार्थी का हक व अधिकार निहित है। तथा प्रार्थी उक्त भूमि में से आने आने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 321 में से 20 फिट का रास्ता आवश्यक है। इस कारण प्रार्थी को नियमानुसार उक्त रास्ता दिलवाया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तावित नक्शा राजस्व रिकार्ड नक्शे में चाहे गये रास्ते को नारंगी रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया व अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा भू अभिलेख निरीक्षक को मोका रिकार्ड व डीएलसी की दर के साथ सम्पूर्ण रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थीगण की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील हाजीर आया अप्रार्थीगण को काफी अवसर देने पर जवाब पेश किया गया कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता नही है, प्रार्थीगण सुविधा के लिये रास्ता मांग रहा है। खसरा नम्बर 319 में जो गै0 मु0 चाह स्थित है सुखा कुआ है उसका उपयोग काफी वर्षो से नही हो रहा है अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में कोई कदीमी रास्ता नही है बल्कि अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि पर तारबंदी कर रखी है। आम रास्ता आम समुदाय के लिये नही है। तथा न ही ऐसा कोई उपलब्ध आरटीए में है, तथा कथित मार्ग प्रार्थीगण सुगमता के लिये प्राप्त करना चाहते है आवश्यकता के लिये नही। अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 314 जो 321 की उत्तर में है तथा प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिये सबसे निकटतम रास्ता है उसमें से मांग करनी चाहिये थी किन्तु प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिये अनुचित मांग कर रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

भू0अ0नि0 की रिपोर्ट मय राजस्व रिकार्ड के पेश हुई । जो शामिल पत्रावली की गयी। इसके बाद बहस पत्रावली पक्षकारान वकील की सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस करते हुए जो प्रार्थना पत्र का समर्थन किया व बताया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता है, प्रार्थी नियमानुसार अप्रार्थीगण को डीएलसी की दर से दुगुनी राशि बतौर मुआवजा अदा करने को तैयार होना बताया। भू0अ0नि0 की रिपोर्ट से भी प्रार्थी के केस व मांग की पुष्टि होती है। इस कपरण प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिलवाया जावे। अप्रार्थी वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता नही है, प्रार्थीगण सुविधा के लिये रास्ते की मांग कर रहे है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 314 जो खसरा नम्बर 321 के उत्तर में तथा प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिये सबसे निकटतम रास्ता है उसमें से मांग करनी चाहिये। किन्तु अप्रार्थीगण को हैरान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम में नई जोडी गई धारा 251 ए का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिये 20 फिट चौडा रास्ता दिया जा सकता है। भू0 अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से भी प्रार्थी के केस की ताईद होती है। किन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 321 के बजाय अप्रार्थीगण के खसरा नमबर 314 में से रास्ता दिया जाना उचित बताया है। इस बाबत अप्रार्थीगण को भी कोई आपत्ति नहीं है। कानून की इस धारा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:34:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

D:\Office\CRT\BIRDA VS KISHANLAL.docx

अनुसार इस तरह के प्रार्थना पत्र को संक्षिप्त विचारण से तय करना है तथा किसी प्रकार के अतिरिक्त सबूत लेने की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है प्रार्थी द्वारा चाहे गयी रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 314 में से (20 फिट के हिसाब से) 2 एयर वाके ग्राम गोगियावास की होती है। जिसके लिये डीएलसी दर 252000/– प्रति बीघा निर्धारित है, इस प्रस्तावित रास्ते की बाबत 40320/– चालीस हजार तीन सो बीस रूपये मात्र मुआवजा तय किया जाता है तथा प्रार्थी को आदेश दिये जाता है कि वह निर्धारित कुल मुआवजा राशि 40320/– का चैक खातेदारों के नाम से न्यायालय में पेश करे तथा चैक जमा होने पर तहसीलदार चाकसू को तहरीर जारी की जावे। कि वो खसरा नम्बर 314 में से 2 एयर कुल 2 एयर भूमि को नक्शे अनुसार रास्ते में दर्ज करे तथा इस भूमि के खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त करें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। आज दिनांक 10.07.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)